

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 082 सन 2021

अगवान :-

1. मुकेश कुमार पुत्र भागराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. विनोद कुमार पुत्र भागराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर।
3. महेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर।
4. श्रीराम पुत्र हसाराज जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर।
5. रोहिताश कुमार पुत्र हसाराज जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर।
6. बंजरग पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. भागराम पुत्र तिलोकाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर।
2. बाला पुत्री भागराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
3. हसाराज पुत्र तिलोकाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
4. कमला पत्नी शंकरलाल जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
5. पूजा पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
6. मोनिका पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
7. महेन्द्र पुत्र तिलोकाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
8. महावीर पुत्र तिलोकाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
9. रामेश्वर पुत्र तिलोकाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
10. राजो पुत्री रामेश्वर जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
11. मंजु पुत्री रामेश्वर जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
12. कमलेश पुत्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
13. माली पुत्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
14. लिछमा पुत्री तिलोकाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
15. सन्तोष पुत्री तिलोकाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
16. नत्थुराम पुत्र चुनी जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
17. रावताराम पुत्र चुनी जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
18. सुलोचना पुत्री चुनी जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
19. रामकोरी पत्नी तिलोकाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 29.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 95/76 की कुल 27.0331 हैक्ठु भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 ता 6, 7 ता 8, 12 ता 19 प्रत्येक 233141/1351655 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 9 के 232136/1351655 हिस्सा एवं खाता संख्या 99/80 की कुल 4.4395 हैक्ठु एवं खाता संख्या 100/82 की कुल 4.7564 हैक्ठु तिलोकाराम के वारिसान प्रत्येक 1/32 हिस्सा एवं भागराम महेन्द्र महावीर रामकोरी पत्नी तिलोकाराम सन्तोष लिछमा पुत्री तिलोका एवं हसाराज पुत्र तिलोकाराम प्रत्येक 1/8 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके फोट होने पर एवं उनके वारिसान में से फोट होने के बाद सजरा खानदान के अनुसार वादीगण के पिता /माता /बुआ के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात वादी के पूर्वजों के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने के कारण वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी गण संख्या 1 ता 19 के हक हिस्सा की भूमि है जिनसे उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6 व 10 ता 19 जो वादीगण के परिवारीक सदस्य है जिन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 7 ता 9 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 7 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 7 ता 9 जो एक ही परिवार के सदस्य है एवं वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 7 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है का आपसी सहमति से भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है एवं बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाये की प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 नाम से दर्ज भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 7 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान के नाम से दर्ज है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6, 10 ता 19 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 7 ता 9 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 7 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 7 ता 9 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 7 ता 9 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का एतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है शामिल मिसल किया एवं पेशकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई एतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हको को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420 हैक् एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290 हैक् मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109 हैक् व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198 की कुल 6.5400 हैक् में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वजो के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर एवं उनके वारिसान के देहान्त होने पर प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हुई जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 का हक हिस्सा है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6, 10 ता 19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6, 10 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या

अधिवक्ता (आपसी सहमति)  
बेइर (अनुमति)

1, 3, 4, 7 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्था होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्ली है तथा प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6, 10 ता 19 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्ली किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादीगण संख्या 1, 2 रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 100/82 व कफ्त 4, 7564हैव में से 3.55465हैव भूमि रहेगी एवं वादी संख्या 3 के पास रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 95/76 की कुल 27.0331हैव में से 11.1383हैव भूमि रहेगी वादीगण संख्या 4, 5 के पास रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 99/80 की कुल 5.4395हैव में से 1.0373हैव बहिय रहेगी वादी संख्या 6 एवं प्रतिवादी संख्या 4 रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 99/80 की कुल 5.4395हैव में से 1.2650हैव बहिय एवं खाता संख्या 100/82 की कुल 4.7564हैव में से 1.20175हैव एवं खाता संख्या 95/76 की कुल 27.0331हैव में से 2.3454हैव एवं खाता संख्या 173/149 की कुल 2.1632हैव में से 1/2 हिस्सा भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 95/76 की कुल 27.0331हैव में से 1.1685हैव व खाता संख्या 173/149 की कुल 2.1632हैव में से 1/2 हिस्सा भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 3 के पास रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 326/292 की कुल 4.5287हैव भूमि यथावत रहेगी प्रतिवादी संख्या 7 के पास रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 99/80 की कुल 5.4395 है में से 3.1372हैव भूमि व खाता संख्या 95/76 की कुल 27.0331हैव में से 2.813हैव भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 8 के पास रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 95/76 की कुल 27.0331हैव में से 5.849हैव भूमि रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 9 के पास रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 263/233 की कुल 6.0467हैव भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलमन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्ली जारी की जाकर शामिल भिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तर्तीब तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपर्युक्त { }  
राजस्व रिकार्ड में अंकन  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021  
जीय कोर्ट, धानसिया

पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाया दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनुदान :-

1. मुकेश कुमार पुत्र भागराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. विनोद कुमार पुत्र भागराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर।
3. महेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर।
4. श्रीराम पुत्र हसराज जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर।
5. रोहितारा कुमार पुत्र हसराज जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर।
6. बंजरग पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. भागराम पुत्र तिलोकाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर।
2. बाला पुत्री भागराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
3. हसराज पुत्र तिलोकाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
4. कमला पत्नी शंकरलाल जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
5. पूजा पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
6. मोनिका पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
7. महेन्द्र पुत्र तिलोकाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
8. महावीर पुत्र तिलोकाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
9. रामेश्वर पुत्र तिलोकाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
10. राजो पुत्री रामेश्वर जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
11. मंजु पुत्री रामेश्वर जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
12. कमलेश पुत्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
13. माली पुत्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
14. लिछमा पुत्री तिलोकाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
15. सन्तोष पुत्री तिलोकाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
16. नत्थुराम पुत्र चुनी जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
17. रावताराम पुत्र चुनी जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
18. सुलोचना पुत्री चुनी जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
19. रामकोरी पत्नी तिलोकाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजरव नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 682 सन 2021 निर्णय दिनांक-29.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साक्षित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादीगण संख्या 1, 2 रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 100/82 व कफल 4.7564 हैक में से 3.55465 हैक भूमि रहेगी एव वादी संख्या 3 के पास रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 95/76 की कुल 27.0331 हैक में से 11.1383 हैक भूमि रहेगी वादीगण संख्या 4, 5 के पास रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 99/80 की कुल 5.4395 हैक में से 1.0373 हैक बहिब रहेगी वादी संख्या 6 एव प्रतिवादी संख्या 4 रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 99/80 की कुल 5.4395 हैक में से 1.2650 हैक बहिब एव खाता संख्या 100/82 की कुल 4.7564 हैक में से 1.20175 हैक एव खाता संख्या 95/76 की कुल 27.0331 हैक में से 2.3454 हैक एव खाता संख्या 173/149 की कुल 2.1632 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 95/76 की कुल 27.0331 हैक में से 1.1685 हैक व खाता संख्या 173/149 की कुल 2.1632 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 3 के पास रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 326/292 की कुल 4.5287 हैक भूमि यथावत रहेगी प्रतिवादी संख्या 7 के पास रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 99/80 की कुल 5.4395 हैक में से 3.1372 हैक भूमि व खाता संख्या 95/76 की कुल 27.0331 हैक में से 2.813 हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 8 के पास रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 95/76 की कुल 27.0331 हैक में से 5.849 हैक भूमि रहेगी एव प्रतिवादी संख्या 9 के पास रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 263/233 की कुल 6.0467 हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021  
कैम्प कोर्ट...धानसिया